अध्याय – VIII:

# क्षमता निर्माण

*प्रभावकारी आपदा प्रबंधन को, जटिल स्थितियों से प्रभावशाली रूप से निपटने तथा मानव जीवन तथा सम्पत्ति पर आपदा का प्रभाव तीव्रता से कम करने लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता है। उन कर्मचारियों, जो आपदा रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, अनुक्रिया, पुनर्निर्माण का कार्य तथा लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं, की क्षमता बढ़ाने के लिए निरन्तर उपाय करना आवयक है। राष्ट्रीय नीति 2009 की शर्तो के अनुसार, क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में लोगों की जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास शामिल है।*

## 8.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (रा.आ.प्र.सं.)

प्राकृतिक आपदा अपचयन के अंतर्राष्ट्रीय दशक की पृष्ठभूमि में, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान 1995 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसका फरवरी 2007 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में पुनर्गठन किया गया था। रा.आ.प्र.सं. के चार शैक्षिक डिविजन जैसे भू-जोखिम प्रभाग, हाइड्रो-मेट-जोखिम प्रभाग, नीति नियोजन एवं क्रॉस कटिंग मुद्दा प्रभाग तथा प्रतिक्रिया प्रभाग थे।

### 8.1.1 रा.आ.प्र.सं. का अधिदेश

रा.आ.प्र.सं., आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु एक मुख्य संस्थान है। वह आपदा प्रबंधन नीतियों, रोकथाम क्रियाविधि तथा शमन उपायों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की सूचना के आधार पर प्रलेखन तथा विकास के लिए भी उत्तरदायी है।

### 8.1.2 राज्यों में आपदा प्रबंधन केन्द्र

भारत सरकार, रा.आ.प्र.सं. के माध्यम से प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (प्र.प्र.सं.) के आपदा प्रबंधन केन्द्रों (आ.प्र.के.) या राज्यों द्वारा नामित नोडल संस्थानों को सहायता देती थी। केन्द्रों तथा रा.आ.प्र.सं. के प्रशिक्षण कार्यक्रम, वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन, जिसमें राज्यों के राहत आयुक्तों प्र.प्र.सं. के महानिदेशकों, संबंधित नोडल मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा भारत सरकार के विभागों ने भाग लिया, के माध्यम से विकसित किए गए थे।

### 8.1.3 रा.आ.प्र.सं. के प्रशिक्षण कार्यक्रम

रा.आ.प्र.सं., केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, सिविल रक्षा स्वयंसेवकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षक, निम्नस्तरीय कार्यकर्ताओं, शिक्षकों तथा विद्यालयी बच्चों आदि को प्रशिक्षण देता है। रा.आ.प्र.सं. द्वारा विभिन्न प्रारूप जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, में प्रशिक्षण दिया जाता है:

- प्रत्यक्ष प्रशिक्षण,
- वेब-आधारित प्रशिक्षण,
- उपग्रह आधारित प्रशिक्षण तथा
- भूकम्प जोखिम प्रबंधन में अभियंताओं एवं वास्तुकारों के लिए क्षमता निमाण कार्यक्रम।

2007-08 से 2011-12 के दौरान, रा.आ.प्र.सं. ने 10413 भागीदारों को आवृत करते हुए 375 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। भूकम्प जोखिम प्रबंधन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत 1361 वास्तुकारों तथा 2528 अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया गया था। इसी तरह, प्र.प्र.सं. के आ.प्र. के द्वारा 106448 भागीदारों को प्रशिक्षण दिया गया था।

हमने रा.आ.प्र.सं. की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित कमियां देखी:

### 8.1.3.1 क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

2004-05 के दौरान, गृ.मं. ने, भूकम्प जोखिम प्रबंधन में अभियंताओं के क्षमता निर्माण (भू.जो.प्र.अ.क्ष.नि.) के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा भूकम्प जोखिम प्रबंधन में वास्तुकारों की क्षमता निर्माण (भू.जो.प्र.वा.क्ष.नि.) के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के दोहरे कार्यक्रम आरंभ किए।

**भूकम्प जोखिम प्रबंधन में वास्तुकारों का क्षमता निर्माण:**

**उद्देश्य:** परियोजना में, सिविल तथा ढांचीय पेशेवर अभियंताओं को प्रशिक्षण देकर भूकम्पीय सुरक्षा निर्माण करवाना सुनिश्चित करना था।
**परियोजना की अवधि:** जून 2004 से मई 2007 तक
**लक्ष्य:** राष्ट्रीय संसाधन संस्थानों (रा.सं.सं.) में 250 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण देना। इन संस्थानों को 10000 वास्तुकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने थे।
**परियोजना लागत:** ₹ 4.51 करोड़

**भूकम्प जोखिम प्रबंधन में अभियंताओं का क्षमता निर्माण:**

**उद्देश्य:** परियोजना में, सिविल तथा ढांचीय व्यवसायी अभियंताओं को प्रशिक्षण देकर भूकम्पीय सुरक्षा निर्माण करवाना सुनिश्चित करना था।
**परियोजना की अवधि:** अप्रैल 2004 से मार्च 2007।
**लक्ष्य:** विभिन्न राज्य संसाधन संस्थानों (रा.सं.सं.) के 420 संकाय सदस्यों को रा.सं.सं. में प्रशिक्षत किया जाना। इन रा.सं.सं. ने 10000 अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने का उत्तरदायित्व लिया था।
**परियोजना लागत:** ₹ 12.36 करोड़

गृ.मं. द्वारा कार्यक्रम की फरवरी 2007 में पुनरीक्षा की गई थी। लक्ष्यों की उपलब्धि में महत्वपूर्ण कमियों के कारण कार्यक्रम को और तीन वर्षो तक आगे बढ़ाया गया था, परन्तु कार्यान्वयन को जून 2008 से रा.आ.प्र.सं. को हस्तांतरित कर दिया गया था।

हमने पाया कि गृ.मं. तथा रा.आ.प्र.सं. परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने में विफल रहे क्योंकि भौतिक के साथ-साथ वित्तीय लक्ष्य भी पूर्ण नहीं किए जा सके थे। प्रत्येक वर्ग के 10000 के लक्ष्य की अपेक्षा में केवल 349 वास्तुकार तथा 1171 अभियंताओं को ही प्रशिक्षित किया जा सका (जून 2008) था।

गृ.मं. ने दिसम्बर 2010 में, कार्यक्रम को और आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया तथा अव्ययित शेष वापस करने के लिए कहा। उस समय तक पेशेवर अभियंताओं तथा वास्तुकारों के प्रशिक्षण में क्रमशः 86 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत की कमी थी।

हमने पाया कि प्रारंभ में, निधियां राहत आयुक्तों, को जारी की गई थीं लेकिन उनका आपस में कोई समन्वयन नहीं था। कुल जारी की गई ₹9.05 करोड़ की राशि में से, ₹3.13 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे (अगस्त 2012)। संबंधित व्यवसायिक निकायों की सलाह से सिविल इंजीनियरिंग तथा वास्तुकला महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम विषय-सूची में भूकंप जोखिम प्रबंधन के मॉड्यूल का होना अधिक उपयोगी हो सकता है।

गृ.मं. ने बताया (सितम्बर 2012) कि अभियंताओं तथा वास्तुकारों के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध न होने के कारण कार्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सका। उन्होंने बताया कि क्षमता निर्माण के लिए भावी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षार्थियों की

उपलब्धता को दिमाग में रखकर बनाया जाएगा तथा योजना से सीख मिली।

### 8.1.3.2 प्र.प्र.सं. की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली

गृ.मं. ने फरवरी 2008 में, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (प्र.प्र.स.) तथा राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजनेत्तर योजना का अनुमोदन किया। योजना के अंतर्गत इन संस्थानों में एक आपदा प्रबंधन केन्द्र विकसित करने के लिए पांच वर्षो की अवधि में ₹25 करोड़ मूल्य की सहायता जारी की जानी थी। रा.आ.प्र.सं. को 31 मार्च 2012 तक इसका कार्यान्वयन करना था। तत्पश्चात राज्य सरकार/सं.शा.क्षे. प्रशासनों तथा संबंधित संस्थानों द्वारा केन्द्रों के परिचालन का उत्तरदायित्व लेना था।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए आपदा प्रबंधन केन्द्र (आ.प्र.के.) को राज्य तथा सं.शा.क्षे. स्तर पर एक केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करना था। प्रत्येक संस्थान को रा.आ.प्र.सं. के परामर्श से एक वर्ष में 100 कार्यदिवस से कम नहीं की कुल अवधि के प्रत्येक कार्यक्रम में औसतन 20 भागीदारों वाले न्यूनतम 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने थे।

हमने पाया कि रा.आ.प्र.सं. ने, केवल ₹17.08 करोड़ जारी किए थे, जिसमें से योजना के अंतर्गत प्र.प्र.सं. द्वारा केवल ₹15.89 करोड़ का उपयोग किया गया था और ₹1.20 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे (अगस्त 2012)।

हमने पाया कि योजना के अंतर्गत 2007-08 से 2011-12 के दौरान, 106448 भागीदारों को प्रशिक्षण दिया गया था। योजना के निष्पादन के पांच वर्षो में कमी की प्रतिशतता 45 से 76 प्रतिशत के बीच थी और 2 से 10 प्र.प्र.सं. ने कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। विवरण **अनुबंध 8.1** में है।

यद्यपि, रा.आ.प्र.सं. ने प्र.प्र.सं. के साथ वार्षिक बैठकें की, तथापि वह योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सका। योजना के बन्द होने पर सौंपे गए लक्षित लाभों की सीमा का पता लगाने के लिए कोई प्रभावित एवं मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

गृ.मं. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि योजना ने राज्य प्र.प्र.सं. के केन्द्रों में नियमित आधार पर संकाय पदों के सृजन हेतु सहायता/समर्थन प्रदान नहीं किया। परिणामस्वरूप, बहुत से केन्द्र, संकाय पदों को भरने में असमर्थ थे जिसके कारणवश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में खराब प्रदर्शन हुआ तथा वेतन एवं भत्तों पर भी कम व्यय हुआ।

### 8.1.4 भा.आ.सं.ने. पोर्टल का खराब कार्यान्वयन

गृ.मं. ने, सं.रा.वि.का. की सहायता से भारत आपदा संसाधन नेटवर्क. (भा.आ.सं.ने.) विकसित किया और उसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (रा.सू.के.) के माध्यम से 2004 में आरंभ किया।

**भारत आपदा संसाधन नेटवर्क**

भा.आ.सं.ने. विशेषज्ञ उपकरण की संगठित सूचना प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने तथा आपदा अनुक्रिया के लिए एक दक्ष वेब पोर्टल था। यह आपदा प्रबंधकों को, संसाधनों के स्थान का पता लगाने तथा कम से कम समय गंवा कर आपदा अनुक्रिया के लिए उसकी पहुँच में सहायता करता था।

नोडल प्राधिकारियों (जिलाधीश या जि.आ.प्र.प्रा.) सूचना डाटा अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार थे। यह लाइव प्रणाली थी, तथा आपदा तैयारी तथा अनुक्रिया के लिए लाभकारी साधन के रूप में सहायता प्रदान करती थी।

गृ.मं. ने (जून 2008) पोर्टल के अद्यतन तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी रा.आ.प्र.सं. को सौंपी लेकिन गृ.मं. में निर्मित दो पद रा.आ.प्र.सं. को स्थानांतरित नहीं किए थे। हमने पाया कि पोर्टल की किसी समर्पित स्टाफ के बिना देखरेख की जा रही थी। हमने यह भी पाया कि राज्यों को पोर्टल में लॉग-इन तथा अपने डाटाबेस अपलोड करने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

पोर्टल की एक दक्ष बाह्य अभिकरण द्वारा आवधिक सुरक्षा जांच करना अधिदेशात्मक था। हमने पाया कि रा.सू.के. द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी ऐसी कोई जांच 2004 के बाद नहीं की गई थी। रा.सू.के. द्वारा पोर्टल के लिए गंभीर खतरों के बारे में दी गई चेतावनी को भी संबोधित नहीं किया गया था (अगस्त 2012)।

गृ.मं. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि रा.आ.प्र.सं. ने भा.आ.सं.ने. पोर्टल के अनुरक्षण हेतु अनुबंध आधार पर एक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को नियुक्त किया था तथा रा.सू.वि.के. की सेवाओं की मांग की जा रही थी।

संसाधनों की सूची संवेदनशील थी तथा आपदा स्थिति में उसकी विश्वसनीयता अनिश्चित थी।

### 8.1.5 शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन

रा.आ.प्र.सं. के शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वतंत्र अभिकरण द्वारा कभी भी मूल्यांकन नहीं किया गया था।

गृ.मं. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि रा.आ.प्र.सं. के शासकीय निकाय ने जुलाई 2012 में हुई अपनी बैठक में रा.आ.प्र.सं. के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए संस्थानों/विशेषज्ञों को लगाए जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए निर्देश दिया था। तदनुसार, कार्रवाई की जा रही थी।

### 8.1.6 रा.आ.प्र.सं. से संबंधित मुद्दे

#### 8.1.6.1 बैठकों में कमी

रा.आ.प्र.सं. के नियम और विनियम 2006 के अनुसार संस्थान[1] की प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार बैठक होनी थी। शासित निकाय[2] ने भी तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करनी थी।

हमने पाया कि संस्थान की अप्रैल 2007 में केवल एक बार बैठक हुई तथा शासित निकाय की जून 2007 से जुलाई 2012 के दौरान 24 की आवश्यकता की अपेक्षा में छः बार बैठक हुई। बैठकों में कमी होने से सेवा नियमावली, भर्ती नियमावली को अंतिम रूप देने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रभाव निर्धारण का समग्र मूल्यांकन करने के लिए अभिकरण को कार्य पर लगाने में विलम्ब हुआ।

#### 8.1.6.2 रा.आ.प्र.सं. में मानवशक्ति प्रबंधन

रा.आ.प्र.सं. को, उसको सौंपे गए कार्यक्षमता निर्माण को कार्यान्वित करने के लिए 57 पद संस्वीकृति किए गए थे। संस्वीकृत संख्या और वर्षवार कार्यरत स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करने से प्रकट हुआ कि रा.आ.प्र.सं. ने कभी भी

[1] संस्थान, रा.आ.प्र.सं. का शीर्ष निकाय है। इसमें गृ.मं. का प्रभारी पदेन अध्यक्ष के रूप में, रा.आ.प्र.प्रा. के उपाध्यक्ष पदेन उपाध्यक्ष के रूप में, रा.आ.प्र.प्रा. का एक सदस्य, रा.का.स. के अध्यक्ष के रूप में, इत्यादि सम्मिलित हैं।

[2] रा.आ.प्र.सं. के शासकीय निकाय में 16 सदस्य शामिल हैं जिसकी अध्यक्षता रा.आ.प्र.प्रा. के उप-अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

अपनी पूरी संस्वीकृत संख्या से कार्य नहीं किया था क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोफेसर, सम्बद्ध प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा अनुसंधानकर्ताओं के कई महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े थे। इससे लक्षित कार्यक्रमों के पूर्ण होने में प्रभाव पड़ा था। ब्यौरे **अनुबंध 8.2** में दिए गए हैं।

**रा.आ.प्र.सं. का पुनर्गठनः**

शासकीय निकाय की बैठक (जुलाई 2012) में रा.आ.प्र.सं.के पुनर्गठन की आवश्यकता व्यक्त की गई थी क्योंकि शैक्षिक ढ़ाचे में वन अग्नि, तटीय खतरे तथा जैविक आपदाओं से निपटने वाले कोई विशेषज्ञ नहीं थे।

गृ.मं. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि संकाय रिक्ति को भरने हेतु भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा था।

## 8.2 आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर प्रारम्भिक परियोजना

फरवरी 2010 में, जिला स्तर पर स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर एक प्रारम्भिक परियोजना ₹2.18 करोड़ की अनुमानित लागत पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) तथा रा.आ.प्र.प्रा. के मध्य एक संज्ञापन पत्र द्वारा लागू की गई थी। परियोजना की अवधि 12 माह की थी।

यह परियोजना विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित खतरों की संवेदनशीलता के आधार पर पहचाने गए चयनित 11 राज्यों के 55 जिलों में आरंभ की जानी थी। चूँकि परियोजना समय पर पूरी नहीं की जा सकी, रा.आ.प्र.प्रा. ने इग्नू के अनुरोध पर सितम्बर 2011 तथा सितम्बर 2012 के बीच तीन बार परियोजना की समय सीमा बढ़ाई। परियोजना (सितम्बर 2012) अभी तक प्रगति में थी।

हमने पाया कि रा.आ.प्र.प्रा. ने परियोजना को, दाण्डिक शर्त के बिना अनुबंध के माध्यम से दिया जिससे इग्नू को अदेय लाभ हुआ। इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने से सम्पूर्ण देश में आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण की भावी योजनाएं विपथित हुई।

गृ.मं. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि विभिन्न गतिविधियों की ज्यादा जानकारी के बिना की गई, यह एक प्रारम्भिक परियोजना थी। अपने निष्पादन में उन्नत होने के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा परियोजना के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न इनपुट शामिल किए जाने के कारणवश, परियोजना में अतिरिक्त विलम्ब हुए। परियोजना में विलम्ब होने से क्षमता निर्माण प्रयास विपथित नहीं हुए अपितु इसने परियोजना की क्षमता निर्माण दक्षता को बढ़ाया। उसने आगे बताया कि प्रारम्भिक परियोजना, एक शैक्षिक गतिविधि थी तथा इग्नू के एक वाणिज्यिक संगठन न होने के कारणवश उसने निर्धारित क्षति धारा पर जोर नहीं दिया। तथापि, भविष्य परियोजनाओं का निर्माण इस प्रारम्भिक परियोजना के अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

## 8.3 राज्यों में क्षमता निर्माण प्रयास

राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण प्रयासों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण नीचे दिया गया है:

### 8.3.1 राज्यों द्वारा क्षमता निर्माण अनुदान का उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य एवं जिला स्तर आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण एवं प्रशासनिक तंत्र के भीतर क्षमता-निर्माण की आपदा प्रतिक्रिया के बेहतर निर्वहन के लिए ₹525 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की थी। अक्तूबर 2010 में वित्त मंत्रालय द्वारा आपदा प्रतिक्रिया की क्षमता निर्माण के लिए सहायता अनुदान को जारी करने एवं उपयोगिता के लिए योजना के दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

अक्तूबर 2010 में 28 राज्यों को सहायता अनुदान की पहली किस्त की 'लेखागत' अदायगी की राशि ₹105 करोड़ तक थी।

हमने नमूना जांच के लिए चयनित राज्यों में किए गए क्षमता निर्माण प्रयासों में कमियां तथा गंभीर अन्तर देखे।

- वित्त मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत राजस्थान को ₹6 करोड़ जारी किए (अक्तूबर 2010)। राज्य सरकार ने इस केन्द्रीय अनुदान को पिछले व्यय में ₹6.75 करोड़ क्रेडिट करने के लिए "खोज एवं बचाव" के अन्तर्गत डेबिट किया तथा व्यपगत से बचने के लिए अनुदान के उपयोग को दर्शाया। 2011-12 के दौरान, वि.मं. द्वारा ₹6 करोड़ तक की निधि जारी की गई, जिसमें से, केवल ₹3.47 करोड़, पिछले व्यय में अंतरण प्रविष्टि द्वारा "खोज तथा बचाव" को क्रेडिट कर पुनः उपयोग किया गया था तथा ₹2.53 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रहीं। राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि भारत सरकार द्वारा नए मापदण्डों को देर से जारी करने के कारण ₹2.53 करोड़ का अनुदान अप्रयुक्त रहा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने क्षमता निर्माण पर व्यय करने के बजाय किसी अन्य शीर्ष के अधिक व्यय को पूरा करने के लिए तथा अनुदान के व्यपगमन से बचने हेतु अंतरण प्रविष्टि करके ₹9.47 करोड़ (2010-11 एवं 2011-12) का केन्द्रीय अनुदान डेबिट किया।

- आन्ध्र प्रदेश में, 2011-12 के दौरान योजना के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली ₹6 करोड़ तक की निधि, भारत सरकार द्वारा योजना के अनुमोदन न होने के कारणवश मार्च 2012 तक भी प्राप्त नहीं की जा सकी थी। अनुमोदन न किए जाने के कारण विभिन्न घटकों में निधियों का मेल न खाना तथा योजनाओं/प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में विलंब था।

- पश्चिम बंगाल को योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से, ₹5 करोड़ की निधि प्रदान की गई थी। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नमूना जांच किए गए तीन जिलों में प्रत्येक द्वारा ₹1.40 लाख प्राप्त किए गए (फरवरी 2011)। बीरभूम में, विद्यालय सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था, जबकि दार्जलिंग में निधियां लेखाओं में रखी हुई थी तथा कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

### 8.3.2 प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल

- पश्चिम बंगाल में, आपदा जोखिम शमन कार्यक्रम-II के अंतर्गत जो कि छः जिलों (जिनमें से दो जिलों - बीरभूम तथा दार्जिलिंग की नमूना जांच की गई थी) में क्षमता निर्माण क्रियात्मक

था। यद्यपि, कार्यक्रम अप्रैल 2008 से आरंभ होकर मार्च 2011 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन यह पीछे रह गया और अभी तक परिचालन में था। तथापि, नमूना जांच किए गए तीन जिलों में से किसी में भी समाज के संवेदनशील वर्गो जैसे रोगियों, विद्यार्थियों, मछली पकड़ने वालों तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्ति, विद्यार्थी इसे अपने विद्यालयीय पाठ्यचर्या में लागू करके आपदा प्रबंधन में संवेदनशील बन सकते हैं। यह अभी किया जाना था।

- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सं.शा.क्षे. में निदेशालय आपदा प्रबंधन (नि.आ.प्र.) द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सं.शा.क्षे. समाज के वर्गो तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यापक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। नि.आ.प्र. द्वारा केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया था जिसका अभी सं.शा.क्षे. प्रशासन द्वारा अभी अनुमोदन किया जाना है। परिणामतः निदेशालय द्वारा (जुलाई 2012) कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।

- आपदा प्रबंधन में शामिल अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण अनुसूची ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओ.रा.आ.प्र.प्रा.) द्वारा तैयार की गई थी। आपातकालिक कला सीखने के लिए राज्य स्तर पर इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। तथापि, 2007-12 के दौरान चार अवसरों पर ओ.रा.आ.प्र.प्रा. से योग्य जन अनुरोध पर प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों में भेजे गए थे।

2008-09 के दौरान, छः तटीय जिलों के 111 बहु उद्देशीय चक्रवात शरणगृहों में स्थानीय लोगों को पांच प्रकार के प्रशिक्षण (पूर्वाभिमुखीकरण प्रशिक्षणः 4440, खोज और बचाव: 2775 प्राथमिक उपचार: 2775, उपकरण का परिचालन और अनुरक्षण: 222) दिए गए थे। तत्पश्चात अभी तक ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया (जून 2012)। हमने पाया कि अन्य अग्रक एजेंसियां जैसे होम गार्डस, मैडिकल, राष्ट्रीय कैडट कोर (रा.कै.को.), राष्ट्रीय सेवा योजना (रा.से.यो.), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (ने.यु.के.सं.) तथा राजस्व कार्मिकों को राज्य स्तर या जिला स्तर पर ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। चिकित्सा कर्मियों को, आपात-कालीन के लिए अस्पताल तैयारी या जनसमूह केजुल्टी घटना प्रबंधन में प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

- ओडिशा में, 2007-12 के दौरान ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल कर्मियों द्वारा 4 स्थानों पर तैयारी उपाय के रूप में केवल पांच मॉक ड्रिल किए गए थे तथा एक संयुक्त अभ्यास/मॉक ड्रिल रेल दुर्घटना पर आयोजित किया गया था। तथापि, इन मॉक ड्रिलों में चिकित्सा विभाग, होम गार्डस, अग्निशमन इत्यादि जैसे अभिकरण शामिल नहीं थे।

- तमिलनाडु में, अग्नि तथा बचाव सेवा विभाग, अग्नि रोकथाम तथा बाढ़ग्रस्त पीड़ितों को बचाने के लिए जिलास्तर पर मॉकड्रिल आयोजित करता है। तथापि, अन्य आपदाओं के लिए मॉकड्रिल तथा सामुदायिक जागरूकता जैसे, राज्य की राजधानी में भूकम्प जो भूकम्पीय क्षेत्र-III में पड़ती थी, पर न तो विचार किया गया था और न ही आयोजित किया गया था।

- उत्तराखण्ड में, 2007-08 तथा 2009-10 में हरिद्वार तथा रूद्रप्रयाग जिलों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें 196 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। यह भी देखा गया था कि आपदा

रोकथाम तथा शमन प्रबंधन के कार्य में लगे जिला, खंड तथा ग्राम स्तर के स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए कोई मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षित नहीं किया गया था। आपातकाल या जन हताहत की बड़ी घटनाओं के प्रबंधन के लिए अस्पताल तैयारी में मैडिकल कर्मियों को भी प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

***अनुशंसाएं:***

- *रा.आ.प्र.सं. के शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जिससे यह आश्वासन मिल सके कि बताए गए उद्देश्यों तथा धन की कीमत प्राप्त हो गई थी।*
- *भा.आ.प्र.ने के कार्यान्वयन को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है तथा संसाधनों के इन्वेन्टरी डाटा को अद्यतन करने की आवश्यकता है।*
- *रा.आ.प्र.सं. में विवेचनात्मक रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाना आवश्यक है ताकि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सके।*